न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 306/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
लक्ष्मणराम पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी विष्णुनगर धोलियानगर तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।		भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़ उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांकः— 11/11/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— मुझ प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1/2 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा मौजा ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। मेरी उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरे पिताजी का नाम भगवानाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं। मेरे पिताजी का वास्तविक नाम मगनाराम हैं तथा मेरे पिताजी के मुल निवास, सर्विस सर्टिफिकेट, मत्यु प्रमाण पत्र में मेरे पिताजी का नाम मगनाराम दर्ज है तथा मेरे स्वयं के व मेरे भाईयों के दस्तावेजों में भी पिताजी का नाम मगनाराम दर्ज है तथा ग्राम विष्णुनगर पटवार क्षेत्र बाना का बास के खसरा नम्बर 178, 176/5 के राजस्व रेकर्ड में भी मेरे पिताजी का नाम मगनाराम दर्ज है। जिसकी प्रतियां संलग्न है। राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरे पिताजी का नाम भगवानाराम गलत दर्ज कर दिया गया हैं, जिसको मैं अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहता हूँ। जो इन दस्तावेजों से बखूबी मगनाराम प्रमाणित होता है। राजस्व रेकर्ड में मेरे पिताजी का नाम अशुद्ध होने के कारण राजस्व रेकर्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होने से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध करवाना चाहता हूँ। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1/2 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा मौजा ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भगवानाराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम मगनाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती किये जाने का आदेश सादिर फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भगवानाराम के स्थान पर मगनाराम दर्ज करने हेतु अनुशंषा की।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1/2 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा मौजा ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भगवानाराम के स्थान मगनाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 11/11/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner